न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 449/2023

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अंकित बरोड़ पुत्र राकेश कुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. धन्नी पत्नी राकेशकुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. रितिका पुत्री राकेशकुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में राकेशकुमार पुत्र हरीराम के नाम दर्ज थी जो की वादीया का पुत्र है। राकेशकुमार पुत्र हरीराम का देहान्त दिनांक 03.09.2022 को हो चुका है। राकेशकुमार पुत्र हरीराम के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। हिन्दु विधि के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी माता व उसकी पत्नी व उसके बच्चे लड़का व लड़की होते है। उक्त वाद भूमि में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की दफा 8 के अनुसार वादीया प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 चारों बहिब यानि प्रत्येक 1/8 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। मगर प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से बिना किसी सक्षम उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के साजबाज कर बिना मृतक के सही वारिस सम्मिलित कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपने अकेलो के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण करवा लिया तथा नामान्तरण एक फिसीकल प्रोसिडिंग है उससे न तो हक अर्जित होते है और नही खत्म होते है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त गलत इन्द्राज से वादिया को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकों का हनन होता है तथा वादिया अपने खातेदारी हकों की घोषणा करवाकर उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने आप को एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 चारों को बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार अंकित दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने की मंशा से यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता स0 580/557, मृत्यु प्रमाण पत्र राकेश कुमार, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 580 रोही मौजा सोनड़ी,

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया के पुत्र राकेशकुमार के नाम दर्ज थी। राकेशकुमार का देहान्त हो चुका है। राकेशकुमार के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने साजबाज कर वाद भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली एवं वादीया को अपने हक हिस्सा से वंचित कर दिया। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के साथ वादीया बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र बहक राकेशकुमार में मृतक की माता की नाम सावत्री दर्ज है एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की चित्रप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया को वंचित कर उक्त नामान्तरण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत माता भी प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिए वाद भूमि में वादीया का 1/6 हक हिस्सा है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील

अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बजाय वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 449/2023

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अंकित बरोड़ पुत्र राकेश कुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. धन्नी पत्नी राकेशकुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. रितिका पुत्री राकेशकुमार जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 449 सन 2023 निर्णय दिनांक 20/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 580/557 की कुल 9.9550 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बजाय वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:31 IST
Reason: SelfAttested